रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241266 CG-DL-E-21122022-241266

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5711] No. 5711] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2022/अग्रहायण 29, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022/AGRAHAYANA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5949(अ).—जबिक, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2427(अ), दिनांक 22 सितंबर, 2009 तथा का. आ. 863 (अ), दिनांक 01 अप्रैल 2013 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एनएच-53) के किलोमीटर 166.000 से किलोमीटर 649.000 (तालेगांव-अमरावती गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाए) को सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित तथा अधिसूचना संख्या का. आ. 3271 (अ), दिनांक 24.10.2016 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के डिजाइन किलोमीटर 166.000 से किलोमीटर 360.000 (मौजूदा किमी 166.000 से किमी 360.000) तक अमरावती चिखली खंड तक के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए यांत्रिक वाहनो पर विनिर्दिष्ट सडक खंड की निवल लंबाई 167.795 कि.मी. हेतु आधार दर के 100% पर तथा 18.60 कि.मी (जिनकी लबाई 1.86 कि.मी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) तथा बाईपास जिनकी लंबाई 24.345 कि.मी. और लागत 10 करोड रू या अधिक है, चार अथवा अधिक लेन के उपयोग हेतु आधार दर के डेढ़ गुणा की दर से सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

8512 GI/2022 (1)

सारणी-1			
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)		
(1)	(2)		
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65		
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05		
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20		
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40		
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45		
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20		

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात् :

	सारणी-2				
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनज)	लंबाई (कि.मी. मे) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है			
महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में कुरंखेड़ गांव के पास किमी 218.750 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 219.000) पर	70.763 (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़ कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%			
महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में तरोडा कस्बा गांव के पास किमी 280.642 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 281.000) पर	58.470 (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़ कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%			
महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में दसरखेड गांव के पास किमी 356.542 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेजिकमी. 355.850) पर।	38.562 (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़ कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%			

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाज़ा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा-

	सारणी-3					
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	शुरुआत	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रूपए में)	
महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में कुरंखेड़ गांव के पास किमी 218.750 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 219.000) पर	बोरेगांव बाईपास	किमी 229.100 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 229.420)	किमी 233.800 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 234.220)	4.700	63.638	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में तरोडा कस्बा गांव के पास किमी 280.642 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी.281.000) पर	खामगाँव बाईपास	किमी 292.842 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 293.320)	किमी 306.712 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 306.000)	13.720 (संरचनाओं की 0.150 किमी लंबाई छोड़कर)	207.934	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में दसरखेड गांव के पास किमी 356.542 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 355.850) पर	नंदुरा बाईपास	किमी 315.742 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 314.980)	किमी 321.742 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 320.980)	5.925 (संरचनाओं की 0.075 किमी लंबाई छोड़कर)	84.477	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

^{3.} उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगाः

	सारणी -4		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में कुरंखेड़ गांव के पास किमी 218.750 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 219.000) पर	0.552	5.52	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में तरोडा कस्बा गांव के पास किमी 280.642 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 281.000) पर	0.795	7.95	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में दसरखेड गांव के पास किमी 356.542 (डिजाइन चैनेज) (मौजूदा चैनेज किमी. 355.850) पर	0.513	5.13	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

विवरण निम्नानुसार है;

किमी 218.750 पर टोल प्लाजा (डिजाइन चैनेज)

चैनेज				
कि.मी. से	कि.मी. तक	संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी.में)	
194.633	194.767	बड़ा पुल	0.134	
200.519	200.611	बड़ा पुल	0.092	
220.994	221.145	बड़ा पुल	0.151	
206.396	206.571	आरओबी	0.175	
कुल			0.552	

किमी 280.642 पर टोल प्लाजा (डिजाइन चैनेज)

चैनेज		<u> </u>	÷ 4 4 3	
कि.मी. से	कि.मी. तक	 सरचना का प्रकार 	लंबाई (कि.मी.में)	
246.436	246.526	बड़ा पुल	0.090	
247.627	247.707	बड़ा पुल	0.080	
254.272	254.392	बड़ा पुल	0.120	
273.022	273.116	बड़ा पुल	0.094	
274.589	274.716	बड़ा पुल	0.127	
283.664	283.732	बड़ा पुल	0.068	

302.976	303.051	बड़ा पुल	0.075
243.511 (बाएं ओर से)	243.586 (बाएं ओर से)	आरओबी	0.075 (बाएं ओर से)
243.520 (दाएं ओर से)	243.576 (दाएं ओर से)	आरआवा	0.056 (दाएं ओर से)
302.022	302.097	आरओबी	0.075
Total			0.795

^{*} औसत लंबाई मानी गई है।

किमी 356.542 पर टोल प्लाजा (डिजाइन चेनेज)

चै	चैन <u>े</u> ज		; ; ; (A A i) ;	
कि.मी. से	कि.मी. तक	संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी.में)	
318.241	318.316	बड़ा पुल	0.075	
324.607	324.695	बड़ा पुल	0.088	
333.051	333.189	बड़ा पुल	0.138	
352.602	352.704	बड़ा पुल	0.102	
345.285	345.393	आरओबी	0.110	
	ज़ ल		0.513	

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थातुः

	सारणी -5	
	~ 0	1 2 0
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधता अवधि
	जावकतम संख्या	
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह
शुल्क की राशि का दो-तिहाई		

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2845.30 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं तथा अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा]। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

फा. सं. NHAI/PIU/AMT/AC/UserFeeNotification/841]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

S.O. 5949(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2427(E), dated 22nd September, 2009 and S.O. 863 (E), dated 1st April, 2013, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the central Government has entrusted the stretch from Kilometer 166.000 to Kilometer 649.000 (Talegaon-Amravati-Gujrat/Maharashtra Border Section) of National Highway No. 6(New NH-53) in the state of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), and in suppression of notification bearing S.O. 3271(E) dated 24.10.2016, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 100% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 167.795 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 18.60 km (having length of 1.86 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 24.345 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of four and more lane section of Amravati Chikhali Section from design kilometer 166.000 to kilometer 360.000 (existing km 166.000 to km 360.000) of National Highway number 53 in the State of Maharashtra and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table 1			
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007- 08 (in Rupees)		
(1)	(2)		
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65		
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05		
Bus or Truck (Two Axles)	2.20		
Three-axle commercial vehicles	2.40		
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	1 3/15		
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20		

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:—

	Table 2			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length ⁵ (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable		
At Km.218.750 (Design chainage) (Existing Chainage Km.219.000) near Kurankhed Village in Akola District, Maharashtra State	70.763 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	mentioned in Table-1 above		
At Km.280.642 (Design chainage) (Existing Chainage Km.281.000) near Taroda Kasba Village in Buldhana District, Maharashtra State	58.470 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% of the base rates mentioned in Table-1 above		
At Km.356.542 (Design chainage) (Existing Chainage Km.355.850) near Dasarkhed Village in Buldhana District, Maharashtra State	38.562 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% of the base rates mentioned in Table-1 above		

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):—

Table 3						
Location of Fee Plaza	Name of the Taking Off	Merging at	Length ⁸ and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable	
(chainage)	Bypass	Tuning On		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km.218.750 (Design chainage) (Existing Chainage Km. 219.000) near Kurankhed Village in Akola District,Maharashtra State	Boregaon Bypass	Km.229.100 (design chainage) (Existing Chainage Km.229.420)	Km.233.800 (design chainage) (Existing Chainage Km.234.220)	4.700	63.638	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km.280.642 (Design chainage) (Existing Chainage Km.281.000) near Taroda Kasba Village in Buldhana District, Maharashtra State	Khamgaon Bypass	Km.292.842 (design chainage) (Existing Chainage Km.293.320)	Km.306.712 (design chainage) (Existing Chainage Km.306.000)	13.720 (excluding 0.150 km length of structures)	207.934	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km.356.542 (Design chainage) (Existing Chainage Km.355.850 Near	Nandura Bypass	Km.315.742(design chainage) (Existing Chainage Km.314.980)	Km.321.742 (design chainage) (Existing Chainage Km.320.980)	5.925 (excluding 0.075 km length of structures)	84.477	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

Dogodzbod	İ	Ī	Ī		ı
Dasarkhed					
Village in					
Buldhana					
District,					
Maharashtra State					

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:—

Table 4					
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)		
At Km.218.750 (Design chainage) (Existing Chainage Km.219.000) near Kurankhed Village in Akola District, Maharashtra State	0.552	5.52	100% of the base rates mentioned in Table-1 above		
At Km.280.642 (Design chainage) (Existing Chainage Km.281.000) near Taroda Kasba Village in Buldhana District, Maharashtra State	0.795	7.95	100% of the base rates mentioned in Table-1 above		
At Km.356.542 (Design chainage) (Existing Chainage Km.355.850) near Dasarkhed Village in Buldhana District, Maharashtra State	0.513	5.13	100% of the base rates mentioned in Table-1 above		

[^]The details are as under:—

Toll Plaza at Km.218.750 (Design Chainage)

Cha	Chainage		I (1.9 (1.1)	
From Km	To Km	Type of Structure	Length ⁹ (in km)	
194.633	194.767	Major Bridge	0.134	
200.519	200.611	Major Bridge	0.092	
220.994	221.145	Major Bridge	0.151	
206.396	206.571	ROB	0.175	
To	otal		0.552	

Toll Plaza at Km.280.642 (Design Chainage)

Chair	nage	The end of	Length (in km)
From (km)	To (km)	Type of Structure	
246.436	246.526	Major Bridge	0.090
247.627	247.707	Major Bridge	0.080
254.272	254.392	Major Bridge	0.120
273.022	273.116	Major Bridge	0.094
274.589	274.716	Major Bridge	0.127
283.664	283.732	Major Bridge	0.068
302.976	303.051	Major Bridge	0.075

Total			0.795	
302.022	302.097	ROB	0.075	
243.520 (RHS)	243.576 (RHS)	KOD	0.056 (RHS)	0.000
243.511 (LHS)	243.586 (LHS)	ROB	0.075 (LHS)	0.066*

^{*}Average length has been considered

Toll Plaza at Km.356.542 (Design Chainage)

Chai	nage	Transact Characterist	Length (in km)
From Km	To Km	Type of Structure	
318.241	318.316	Major Bridge	0.075
324.607	324.695	Major Bridge	0.088
333.051	333.189	Major Bridge	0.138
352.602	352.704	Major Bridge	0.102
345.285	345.393	ROB	0.110
To	tal		0.513

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 315.000 (Rupees Three Hundred and Fifteen only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
- 5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Table 5				
A MOUNT PAVADIE	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity		
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment		
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment		

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
- 11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2845.30 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU/AMT/AC/UserFeeNotification/841]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.